



## प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15.07.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक गाडी बोलेरो पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक गाड़ी बोलेरो पिकअप नं0 एच.आर- 61डी- 1654 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुये 05 पशु बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-चांद पुत्र सोमपाल निवासी गुर्जर कालोनी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे 05 पशु ।



- एक गाड़ी बोलेरो पिकअप नं0 एच.आर- 61डी- 1654

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रियव्रत ।
2. का0 885 हरिओम ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15.07.2022

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 546/21 धारा 420/406 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.05.2021 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री भूषण अग्रवाल पुत्र श्री मामचन्द निवासी नारायणगढ जनपद अम्बाला हरियाणा ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त रामप्रकाश शास्त्री निवासी कस्बा व थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा उसके घर में दबा हुआ खजाना दिलाने के नाम पर धोखाधडी करके करीब 34 लाख रूपये ले लिये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 546/21 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



विवेचना के दौरान उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त सचिन पुत्र ओमपाल निवासी मोहनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया था ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 546/21 धारा

420/406 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1-सचिन पुत्र ओमपाल निवासी मोहनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0- श्री राम कुमार।

2-का0- 584 कपिल कुमार।



**प्रेस नोट**

**थाना कोतवाली बागपत**

**दिनांक 15.07.2022**

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-**

1- हारून पुत्र मुस्तफा निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रियव्रत आर्य
2. का0 885 हरिओम



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 15.07.2022

**थाना चांदीनगर पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-विष्णु उर्फ काले पुत्र प्रमोद उर्फ पप्पू निवासी ग्राम भैड़ापुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

### गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 218/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 207/18 धारा 379 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 211/18 धारा 379/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 136/18 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

5.मु0अ0सं0 53/19 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना चांदीनगर जनपद बागपत

5-मु0अ0सं0 147/22 धारा 3/10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री धीरज कुमार

2-का0 934 अश्वनी सिंह



**प्रेस नोट**

**थाना रमाला**

**दिनांक 15-07-2022**

**थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 181/2022 धारा 377/506 भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट में वांछित एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 181/2022 धारा 377/506 भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट में वांछित एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**नोट-** उपरोक्त अभियोग में थाना रमाला पुलिस द्वारा दिनांक 11-07-2022 को एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।

**कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-**

1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार ।

2-व०उ०नि० श्री सत्येन्द्र सिंह ।

3-का० 1061 अनुराग यादव ।

4-का० 525 महेशचन्द ।